

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री रामचरन शर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-113/2022 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO :-2022/157

दायर दिनांक :-16.09.2022

निर्णय दिनांक :-13.10.2022

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री शंशिकान्त शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

- प्रार्थी

बनाम

1. श्री रोशन लाल पालीवाल पुत्र श्री भीमाशंकर पालीवाल उम्र 48 जाति पालीवाल निवासी कमला नेहरू हॉस्पिटल के पास, कांकरोली राजसमंद जिला राजसमंद (फर्म विक्रेता/मालिक) मैसर्स आर.के. मिल्क प्रोडक्ट्स, महासतियों की मादडी, राजसमंद जिला राजसमंद

- विपक्षी

परिवाद अन्तर्गत धारा क्रमशः 26(2) (ii) / 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम एवं विनियम 2011

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25.07.2011 व 10.08.2011 के अनुसरण में श्री शंशिकान्त शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर सबस्टैण्डर्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि श्री रोशन लाल पालीवाल पुत्र श्री भीमाशंकर पालीवाल उम्र 48 जाति पालीवाल निवासी कमला नेहरू हॉस्पिटल के पास, कांकरोली राजसमंद जिला राजसमंद (फर्म विक्रेता/मालिक) मैसर्स आर.के. मिल्क प्रोडक्ट्स, महासतियों की मादडी, राजसमंद जिला राजसमंद जो की डेयरी का व्यवसाय करते है। तथा इनकी दूकान मैसर्स आर.के. मिल्क प्रोडक्ट्स, महासतियों की मादडी, राजसमंद जिला राजसमंद पर दिनांक 16.06.2022 को 04.00 पी.एम. पर वास्ते चेकिंग पहुंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया। वक्त निरीक्षण उक्त दुकान में दही (पाश्च्युरीकृत डबल टोन्ड दूध से तैयार) ए एक फ्रिज में लगभग 05 किलोग्राम एक भगोने में आम जनता के लिये विक्रय हेतु रखे हुए थे। एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर खाद्य पदार्थ दही (पाश्च्युरीकृत-

P.T.O.

डबल टोन्ड दूध से तैयार) मे से 02 किलो ग्राम दही (पाश्चुरीकृत डबल टोन्ड दूध से तैयार) वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 120/- रुपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ दही (पाश्चुरीकृत डबल टोन्ड दूध से तैयार) के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा दही (पाश्चुरीकृत डबल टोन्ड दूध से तैयार) की 04 पॉली पैक को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग-2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई -1621 नियमानुसार चारो नमूना सील पर अंकित कर नमूने की सील भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद ने पत्र क्रमांक : एफएसएसए/2022/2592 दिनांक 06.07.2022 के साथ खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. /652/एक्ट/2022/652 दिनांक 30.06.2022 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार AI 1621 खाद्य पदार्थ दही (पाश्चुरीकृत डबल टोन्ड दूध से तैयार) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने दिनांक 13.09.2022 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन- अधिकारी नियुक्त किया गया है।

P.T.O.

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश करने से मना किया गया। विपक्षी द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया कि उसके द्वारा उक्त दही (पाश्चुरीकृत डबल टोन्ड दूध से तैयार) में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं कि जाती है। तथा भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जावेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी की बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का दही (पाश्चुरीकृत डबल टोन्ड दूध से तैयार) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। अतः अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx)) खाद्य पदार्थ दही (पाश्चुरीकृत डबल टोन्ड दूध से तैयार) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

अपराध कारित होने से विपक्षी श्री रोशन लाल पालीवाल पुत्र श्री भीमाशंकर पालीवाल उम्र 48 जाति पालीवाल निवासी कमला नेहरू हॉस्पिटल के पास, कांकरोली राजसमंद जिला राजसमंद (फर्म विक्रेता/मालिक) मैसर्स आर.के. मिल्क प्रोडक्ट्स, महासतियों की मादडी, राजसमंद जिला राजसमंद पर कुल राशि 5,000/- रुपये (अक्षरे रूपया पाँच हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर राजकोष में आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रा0 फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित हो।



(रामेश्वर शर्मा)
13/10/2022
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द